विकास आयुक्त कार्यालय
विकास भवन, चतुर्थ तल, सेक्टर-19, नार्थ ब्लाक
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

फोन: 0771-2960225 पिन कोड-492002 E-Mail ID:- establishment.vak@gmail.com

---

क्रमांक 564/**ESTB-101(3)/427/2025**/वि-2/ नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 09 FEB 2026

//अधिसूचना//

कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 269 /**ESTB-101(3)/427/2025**/वि-2/नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 19/01/2026 द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु दस्तावेजों के सत्यापन/परीक्षण उपरांत पात्र/अपात्र सूची के संबंध में दिनांक 28.01.2026 तक कार्यालयीन समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के माध्यम से दावा-आपत्ति आमंत्रित किये गये थे।

2/ नियत तिथि/समय तक प्राप्त दावा-आपत्तियों का विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निराकरण कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त दावा-आपत्ति के निराकृत सूची पर किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त सूची विभाग के वेबसाइट https://prd.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

संलग्नः- दावा-आपत्ति निराकरण सूची।
(विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
VINAY PRAKASH TIRKEY
Date: 09-02-2026
14:14:38

अपर विकास आयुक्त
विकास आयुक्त कार्यालय
छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर

दावा आपत्ति के निराकरण हेतु गठित समिति का कार्यवाही विवरण :–

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क्र./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
1	श्री जितेन्द्र गिरी पिता–श्री दयागिरी जांजगीर चांपा	101 दिनांक 22.01.2026 एवं 112 दिनांक 23.01.2026	आय प्रमाण पत्र मान्य किये जाने बाबत्	आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम आवेदन के साथ केवल पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न कर स्वयं के नाम पर जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य करने हेतु निवेदन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत द्वितीय आवेदन में माता के नाम पर जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
2	श्री उमेश्वर साहू राजिम गरियाबंद	102 दिनांक 22.01.2026	आयु की दृष्टि से वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता सूची में प्राथमिकता प्रदान करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को आयु के आधार पर वरीयता क्रम में सुधार करने हेतु निवेदन किया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 7 (VIII) के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
3	श्री दीपक कुशवाहा बैकुण्ठपुर	103 दिनांक 22.01.2026	भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रतिशत के संबंध में।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवदेन में उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी(सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 के अनुसार आरक्षण रोस्टर का पालन करने का निवेदन किया गया है। उक्त दावा अपत्ति दस्तावेज सत्यापन से संबंधित न होकर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 02.04.2025 के बिन्दु क्रमांक 02 के महत्वपूर्ण टीप क्रमांक 02 से संबंधित है, जिसमें उल्लेख है कि "विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली नियुक्तियॉ/चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एसएलपी(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी " अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।
4	सुश्री पुनम पिता–सहोदर राम सोनहत कोरिया	96 दिनांक 22.01.2026	आय प्रमाण पत्र मान्य करते हुए पात्र श्रेणी मे शामिल करने बाबत्।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवदेन में अपने माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो जाने के कारण स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र के स्थान पर अपनी दादी (संरक्षक) के नाम पर जारी आय प्रमाणपत्र को मान्य करने का निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क्र./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
5	श्री दीपक चन्द्रा पिता–श्री उत्तर कुमार चन्द्रा जांजगीर चांपा	97 दिनांक 22.01.2026 एवं 98 दिनांक 22.01.2026	आयु की दृष्टि से वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता सूची में प्राथमिकता प्रदान करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को आयु के आधार पर वरीयता क्रम में सुधार करने हेतु निवेदन किया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 7 (VIII) के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
6	श्री चेतन साहू भू.पू. सैनिक पिता श्री शिवलाल साहू बिलासपुर	99 दिनांक 22.01.2026	आय प्रमाण पत्र को मान्य करते हुए पात्र श्रेणी में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भूतपूर्व सैनिक के रूप में स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र के स्थान पर पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
7	श्री नरेश कुमार पिता–श्री देवनारायण कोरबा	100 दिनांक 22.01.2026	आय प्रमाण पत्र को मान्य करते हुए पात्र श्रेणी में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र के स्थान पर पिता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
8	श्री कान्हा साहू पिता–श्री रतनलाल साहू कबीरधाम	108 दिनांक 23.01.2026	आय प्रमाण पत्र को मान्य करते हुए पात्र श्रेणी में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आवेदक द्वारा स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र के स्थान पर माता के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र एवं पिता का मृत्यु प्रमाणपत्र को मान्य किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
9	सुश्री नीलम साहू पिता श्री फागेश साहू अभनपुर	109 दिनांक 23.01.2026	पत्राचार के पता में सुधार करने बाबत्।	आवेदिका द्वारा स्वयं के पत्राचार हेतु दिये गये पता में सुधार करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
10	श्री सत्यनारायण पिता श्री प्यारेलाल तखतपुर बिलासपुर	110 दिनांक 23.01.2026	पात्र/अपात्र सूची में पात्र (अनारक्षित हेतु) के स्थान पर ओबीसी गैर किमिलेयर किये जाने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सामान्य श्रेणी के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। श्री सत्यनारायण पिता प्यारेलाल के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के निराकरण हेतु उनके दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा व्यापम में प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में विकलांग श्रेणी (PH-LV) से आवेदन भरा गया है जिसमें PWD-TYPE-2-LOW VISION- अल्पदृष्टि PWD Cert No. CG 3740319970003654 Date 11.09.2024 अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के दौरान विकलांग–अल्प दृष्टि श्रेणी अन्तर्गत आवेदन भरा गया था, जिसमें प्रमाण पत्र कमांक एवं निर्गमन तिथि मेन्युवली भरा गया था। अतः यह प्रक्रिया किसी भी स्थिति में अनजाने में अथवा तकनीकी त्रुटि से पूर्ण नहीं की जा सकती। ''यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापम द्वारा आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु इस अवधि में भी संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपनी श्रेणी में कोई संशोधन नही किया गया।'' श्री सत्यनारायण के आनलाईन आवेदन में अंकित विकलांगता प्रमाणपत्र के क्रमांक के आधार पर विभागीय पोर्टल पर परीक्षण किया गया, जिसमें दिव्यांगता प्रमाणपत्र उन्हीं के नाम पर जारी होना एवं वर्तमान में समर्पित दर्शित हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा जानबूझकर आनलाईन आवेदन में दिव्यांगता संबंधी जानकारी भरी गई है। श्री सत्यनारायण द्वारा संयुक्त वरीयता सूची जारी होने के पश्चात् श्रेणी में परिवर्तन हेतु निवेदन किया गया है। ''विभागीय विज्ञापन की कंडिका 3 पात्रता एवं शर्तें के टीप के प्रावधान– चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।'' अतएव आवेदक के दावा/आपत्ति को अमान्य करते हुये श्री सत्यनारायण की अभ्यर्थिता को निर्हित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
11	श्री नारायण वर्मा, पिता स्व.श्री प्रेमसिंह वर्मा धरसीवा रायपुर	111 दिनांक 23.01.2026	भू.पू. सैनिक श्रेणी अंतर्गत आरक्षण हेतु विभिन्न अभ्यर्थियों के पात्रता पर अपत्ति बाबत्।	आवेदक द्वारा निम्नानुसार अभ्यर्थियों के भू.पू. सैनिक श्रेणी के आरक्षण पर आपत्ति की गई है :– 1. अभ्यर्थी छत्रधारी साहू द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान दी गई जानकारी के बिन्दु कमांक 22 में शासकीय सेवक नहीं होने का उल्लेख किया गया है, जबकि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कार्यालय आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर के आदेश कमांक 6892 दिनांक 02.09.2025 के सरल कंमाक 105 में श्री छत्रधारी साहू की पदस्थापना छात्रावास अधीक्षक श्रेणी ''द'' में होने की जानकारी दी गई है। श्री छत्रधारी साहू की सेवानिवृत्ति के उपरांत भूतपूर्व सैनिक से छात्रावास अधीक्षक के पद पर प्रथम पदस्थापना की स्थिति में तो दावा/आपत्ति अमान्य होगी, किन्तु छात्रावास अधीक्षक के पद के पूर्व भी किसी पद पर नियुक्ति हुई है, तो दावा/आपत्ति मान्य की जावेगी। इस हेतु संबंधित से शपथ पत्र/दस्तावेज प्राप्त किये जाने की अनुशंसा की जाती है। 2. अभ्यर्थी श्री संतोष कुमार द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय में शासकीय सेवा में नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चूंकि सहा.वि.वि.अधि. हेतु आवेदन इस नियुक्ति के पूर्व किया गया है एवं संबंधित द्वारा इस संबंध में नियोक्ता को अवगत भी कराया गया है। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है। 3. अभ्यर्थी श्री रोशन लाल साहू द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय शासकीय सेवक नहीं होने की जानकारी दी गई है, जबकि आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, नवा रायपुर के आदेश कमांक 1586 दिनांक 06.10.2025 के स.कं. 215 में श्री रोशन लाल साहू की नियुक्ति प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर होना प्रदर्शित हो रहा है। इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर ही निर्णय लिये जाने की अनुशंसा की जाती है। 4. अभ्यर्थी श्री अमित कुमार मनु द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय में शासकीय सेवा में नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चूंकि सहा.वि.वि.अधि. हेतु आवेदन इस नियुक्ति के पूर्व किया गया है एवं संबंधित द्वारा इस संबंध में नियोक्ता को अवगत कराया गया है। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है। 5. अभ्यर्थी श्री हीरालाल द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय में शासकीय सेवा में नियुक्ति की जानकारी प्रस्तुत की गई है। चूंकि सहा.वि.वि.अधि. हेतु आवेदन इस नियुक्ति के पूर्व किया गया है एवं संबंधित द्वारा इस संबंध में नियोक्ता को अवगत कराया गया है। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
12	सुश्री भूमिका साहू पिता श्री गिरीश साहू बस्तर	113 दिनांक 23.01.2026	पात्र/अपात्र सूची में पात्र (अनारक्षित– महिला) के स्थान पर (अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला) किये जाने बाबत्।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र, जो कि निर्धारित सीमा से अधिक राशि का है, को स्वीकार करते हुये अन्य पिछड़ा वर्ग– महिला श्रेणी में पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये क्रीमीलेयर के मापदंडो में संशोधान तथा एकजाईकरण हेतु जारी परिपत्र क्रमांक एफ 9–3/2001/आ.प्र./1–3 दिनांक 19.09.2013 के प्रावधानों का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार वर्ग–03 के कर्मचारी पर अपवर्जन नियम लागू नही होते है। अवेदिका द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार इनके पिता उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त हुये थे, जो कि श्रेणी 03 का पद है। अतः इनके दावा/आपत्ति को मान्य करते हुए इनको अन्य पिछड़ा वर्ग–महिला श्रेणी में पात्र करने की अनुशंसा की जाती है।
13	श्री दुर्गेश कुमार पिता–स्व. श्री चन्द्रिका प्रसाद अकलतरा जांजगीर चांपा	114 दिनांक 23.01.2026	सी.वी.रमन वि.वि. द्वारा दूरस्थ शिक्षा माध्यम से जारी पीजीडीआरडी. सत्र 2019–20 को मान्य करते हुए 15 अंक प्रदाय करने हेतु।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सी.वी.रमन वि.वि. से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पीजीडीआरडी. कोर्स सत्र 2019–20 को मान्य करने का निवेदन किया गया है। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2066 दिनांक 17.09.2025 के बिन्दु क्रमांक 03 एवं विनियामक आयोग द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 'द' के अभिमत के बिन्दु क्रमाक 2 के अनुसार सी.वी. रमन वि.वि. को दूरस्थ माध्यम से पीजीडीआरडी. पाठ्यक्रम की मान्यता वर्ष 2012–13 तक की अवधि के लिये ही मान्य है। अतएव दावा/आपत्ति को अमान्य किया जाता है।
14	श्री प्रयाग चन्द्राकर पिता–श्री डोमार चन्द्राकर अमलीडीह रायपुर एवं श्री पंकज कुमार बिलासपुर	115 दिनांक 23.01.2026, एवं 153 दिनांक 27.01.2026 146 दिनांक 27.01.2026	आयु की दृष्टि से वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता सूची में प्राथमिकता प्रदान करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्भी को वरीयता क्रम में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता क्रम जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 7 (VIII) के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
15	श्री विनोद कुमार पिता–श्री छबिलाल बालोद	143 दिनांक 27.01.2026	एम.बी.ए.(कृषि व्यसाय प्रबंधन) में स्नात्कोत्तर डिग्री को मान्य करते हुए 15 अंक की पात्रता प्रदान करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में एम.बी.ए.(कृषि व्यसाय प्रबंधन) में स्नात्कोत्तर डिग्री को मान्य किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 3 (I) के अनुसार दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
16	सुश्री दिव्या वर्मा, पिता–श्री रविन्द्र वर्मा, सारगढ़–बिलाईगढ़	154 दिनांक 27.01.2026	शैक्षणिक योग्यता संबंधी गलत विवरण प्रस्तुत करे बोनस अंक एवं वरीयता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र करने को संबंध में ।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्भी को वरीयता कम में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता कम जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 7 (VIII) के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
17	श्री विवेक कुमार कश्यप पिता–श्री रेमेश प्रसाद कश्यप बिलासपुर	147 दिनांक 27.01.2026	शैक्षणिक योग्यता संबंधी गलत विवरण प्रस्तुत कर बोनस अंक एवं वरीयता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र करने के संबंध में	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्भी को वरीयता कम में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता कम जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 7 (VIII) के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
18	श्री देवकीनंदन कश्यप पिता–श्री भगत राम कश्यप जांजगीर चांपा	150 दिनांक 27.01.2026	शैक्षणिक योग्यता संबंधी गलत विवरण प्रस्तुत कर बोनस अंक एवं वरीयता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अपात्र करने के संबंध में	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्भी को वरीयता कम में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता कम जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन के कंडिका 7 (VIII) के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
19	सुश्री दिव्या वर्मा, पिता–श्री रविन्द्र वर्मा, सारगढ़–बिलाईगढ़	155 दिनांक 27.01.2026	दावा अपत्ति अवधि के दौरान श्रेणी/आय/जाति प्रमाण पत्र स्वीकार न करने बाबत्।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भूमिका साहू के आय जाति अथवा श्रेणी परिवर्तन संबंधी आवेदन को दस्तावेज सत्यापन पश्चात् प्राप्त होने की स्थिति में अस्वीकार करने एवं भूमिका साहू को अनारक्षित– महिला श्रेणी में अंतिम रूप से मान्य करने का निवेदन किया गया है। शासन के आरक्षण नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी से अधिक अंक लाता है, तो स्वमेव ही वह अनारक्षित श्रेणी के लिए पात्र हो जाता है और यदि अपने प्रवर्ग के समकक्ष अंक प्राप्त करता है तो अपने प्रवर्ग के लिए ही पात्र होता है। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।
20	श्री रविन्द्र कुमार पिता–श्री डामनलाल गुण्डरदेही बालोद	160 दिनांक 28.01.2026	भूतपर्व सैनिक अंतर्गत पात्र करने के संबंध में।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन के अन्य शर्तें के बिन्दु (चार) के अनुसार दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क्र./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
21	श्री ऋषभ पाठक/पिता श्री रमेश पाठक महासमुंद	118 दिनांक 23.01.2026	इग्नु द्वारा जारी अंकसूची को मान्य कर पात्रता सूची में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 20/5/2025 को इग्नू द्वारा जारी पीजीडीआरडी पाठ्यक्रम की अंकसूची को स्वीकार कर पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन की कंडिका 3 पात्रता एवं शर्तें के टीप प्रथम में उल्लेख है कि आवेदन भरने के अंतिम तिथि 05.05.2025 के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नही किय जायेंगे। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।
22	श्री उत्तम लाल/पिता श्री नरोत्तम छुरिया राजनांदगांव	117 दिनांक 23.01.2026	इग्नु द्वारा जारी अंकसूची को मान्य कर पात्रता सूची में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 20/5/2025 को इग्नू द्वारा जारी पीजीडीआरडी पाठ्यक्रम की अंकसूची को स्वीकार कर पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन की कंडिका 3 पात्रता एवं शर्तें के टीप प्रथम में उल्लेख है कि आवेदन भरने के अंतिम तिथि 05.05.2025 के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नही किय जायेंगे। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।
23	श्री चितामणी राठौर	128 दिनांक 27.01.2026	आय प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए पात्र श्रेणी में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में आय प्रमाण पत्र को मान्य करते हुये पात्र श्रेणी में शामिल करने हेतु निवेदन किया गया है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही कराया गया है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी अंतर्गत आरक्षण का लाभ एक बार लिया जा सकता है। आवेदक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार आवेदक वर्तमान में छात्रावास अधीक्षक के पद पर दिनांक 21.05.2025 से पदस्थ है। भूतपूर्व सैनिक श्रेणी अंतर्गत आरक्षण का लाभ एक बार लिया जा चुका है अथवा नहीं, स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः इस संबंध में अभ्यर्थी से शपथ पत्र लिया जाना उचित होगा। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिक के मामले में प्रथम नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को पूर्व में दिए गए सभी आवेदनों की (भर्ती हेतु) सूचना नियोक्ता को देनी होती है। इस संबंध में दस्तावेज/पावती/शपथ पत्र प्रस्तुत लिये जाने की अनुशंसा की जाती है।
24	श्री गुलशन कुमार पिता–स्व.हीराराम सक्ती	156 दिनांक 28.01.2026	आय प्रमाण पत्र को स्वीकार करते हुए पात्र श्रेणी में शामिल करने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अपने माता–पिता दोनों के निधन हो जाने के कारण स्वयं के नाम पर जारी आय प्रमाण पत्र को मान्य किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क्र./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
25	श्री गुलशन कुमार श्रीवास जांजगीर चांपा	129 दिनांक 27.01. 2026	सहा.वि.वि.अधि. भर्ती प्रकिया में क्षैतिज आरक्षण के नियम व शर्तो का सही पालन न होने बाबत्।	आवेदक द्वारा प्रस्तत आवेदन में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी हेतु आरक्षण होरिजेण्टल होने का उल्लेख करते हुए अनारक्षित सीट में अनारक्षित श्रेणी के आवेदक का ही चयन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन की कंडिका 8 में उल्लेखित बिन्दु VI के अनुसार दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है। विभागीय विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।
26	श्री देवकीनंदन कश्यप पिता–श्री भगत राम कश्यप जांजगीर चांपा एवं श्री पंकज कुमार, बिलासपुर एवं प्रयाग चंद्राकर, रायपुर एवं विवेक कुमार कश्यप, बिलासपुर	149 दिनांक 27.01. 2026, 145 दिनांक 27.01.2026, 152 दिनांक 27.01.2026 148 दिनांक 27.01. 2026	एडीईओ भर्ती प्रकिया में दिव्यांग (PH-LV) श्रेणी में जानबुझकर आवेदन करने एवं अंतिम चरण में प्रवर्ग परिवर्तन के प्रयास के कारण अभ्यर्थी श्री सत्यनारायण पिता श्री प्यारेलाल को भर्ती नियमों के अंतर्गत अपात्र घोषित किये जाने के संबंध में ओवदन।	आवेदकों द्वारा अभ्यर्थी श्री सत्यनारायण पिता प्यारेलाल द्वारा विकलांग अल्पदृष्टि श्रेणी से आवेदन करने के उपरांत शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रवर्ग परिवर्तन करने के संबंध में आपत्ति की गई है। श्री सत्यनारायण पिता प्यारेलाल के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा व्यापम में प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में विकलांग श्रेणी (PH-LV) से आवेदन भरा गया है जिसमें PWD-TYPE-2-LOW VISION- अल्पदृष्टि PWD Cert No. CG 3740319970003654 Date 11.09.2024 अंकित है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के दौरान विकलांग–अल्प दृष्टि श्रेणी अन्तर्गत आवेदन भरा गया था, जिसमें प्रमाण पत्र कमांक एवं निर्गमन तिथि मेन्युवली भरा गया था। अतः यह प्रक्रिया किसी भी स्थिति में अनजाने में अथवा तकनीकी त्रुटि से पूर्ण नहीं की जा सकती। '' यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापम द्वारा आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अवसर प्रदान किया गया था किन्तु इस अवधि में भी संबंधित अभ्यर्थी द्वारा अपनी श्रेणी में कोई संशोधन नही किया गया। '' श्री सत्यनारायण के आनलाईन आवेदन में अंकित विकलांगता प्रमाणपत्र के क्रमांक के आधार पर विभागीय पोर्टल पर परीक्षण किया गया, जिसमें दिव्यांगता प्रमाणपत्र उन्हीं के नाम पर जारी होना एवं वर्तमान में समर्पित दर्शित हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा जानबूझकर आनलाईन आवेदन में दिव्यांगता संबंधी जानकारी भरी गई है। श्री सत्यनारायण द्वारा संयुक्त वरीयता सूची जारी होने के पश्चात् श्रेणी में परिवर्तन हेतु निवेदन किया गया है। ''विभागीय विज्ञापन की कंडिका 3 पात्रता एवं शर्तें के टीप के प्रावधान– चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा चयन सूची जारी करने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जावेगी।'' अतएव दावा/आपत्ति को मान्य करते हुये श्री सत्यनारायण की अभ्यर्थिता को निरर्हित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
27	सुश्री आशा किण्डौ, पिता–श्री अलेक्जेण्डर किण्डों जशपुर	144 दिनांक 27.01.2026	15 अंक की पात्रता प्रदान कर पात्र सूची में शामिल करने बाबत्।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में डॉ. सी.वी. रमन वि.वि. से पीजीडीआरडी डिप्लोमा स्वाध्यायी माध्यम वर्ष 2014–15 की अंकसूची को मान्य करते हुये पात्र किये जाने हेतु निवेदन की गई है। उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन द्वारा अपने पत्र कमांक 2066 दिनांक 17.09.2025 की कंडिका में दी गई जानकारी अनुसार सी.वी.रमन वि.वि. में स्वाध्यायी माध्यम में वर्ष 2009–10 से पाठ्यक्रम संचालित है। अतः दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।
28	श्री संजय चौधरी एवं रोशन लाल सिन्हा, संजय चौधरी, रविकुमार ध्रुव एवं उदयन दुबे, रविकुमार ध्रुव एवं उदयन दुबे एवं ओमप्रकाश जायसवाल एवं ऐश्वर्य पटेल एवं सोनम यादव एवं हरिश दास एवं प्रियांशु दानी	130 दिनांक 27.01.2026, 127 दिनांक 27.01.2026 116 दिनांक 23.01.2026, 126 दिनांक 27.01.2026, 134 दिनांक 27.01.2026, 133 दिनांक 27.01.2026, 131 दिनांक 27.01.2026, 132 दिनांक 27.01.2026, 158 दिनांक 27.01.2026	एडीईओ भर्ती प्रकिया में जारी पात्र/अपात्र सूची के विरूद्ध दावा आपत्ति बाबत्।	आवेदकों द्वारा 04 बिन्दुओं में मांग एवं आपत्ति प्रस्तुत की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :– 1. आईएसबीएम वि.वि. की पीजीडीआरडी पाठ्यक्रम की डिग्री को गैर कानूनी घोषित कर संबंधित अभ्यर्थियों को अपात्र किये जाने का लेख किया गया है। छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 1664 दिनांक 13.01.2026 के कंडिका 02 में उल्लेखित बिन्दु के आधार पर दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है। 2. डॉ सी.वी. रमन वि.वि. की स्वाध्यायी मोड पीजीडीआरडी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को यूजीसी मान्यता के अभाव में अमान्य किये जाने का लेख किया गया है। छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 2066 दिनांक 17.09.2025 के बिन्दु क्र. 03 में उल्लेखित बिन्दु के आधार पर दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है। 3. उपर्युक्त अपात्रताओं के पश्चात् ही संशोधित मेरिट सूची जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। दावा/आपत्ति बिन्दु क्र. 01 एवं 02 अमान्य की गई है। अतः दावा/आपत्ति लागू नहीं होता। 4. आवेदन के बिन्दु कमांक 04 में अभ्यर्थी श्री सत्यनारायण पिता श्री प्यारेलाल को अपात्र करने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन की कंडिका 3 पात्रता एवं शर्तें के टीप के प्रावधान के अनुसार दावा/आपत्ति मान्य की जाती है।

क्र.	आवेदक का नाम पिता/पति का नाम/पता	आवेदन क्र./दिनांक	दावा आपत्ति आवेदन का विषय	समिति का अभिमत
29	श्री देवकीनंदन कश्यप पिता–श्री भगत राम कश्यप जांजगीर चांपा	151 दिनांक 27.01.2026	एडीईओ भर्ती प्रक्रिया में आय प्रमाण पत्र संबंधी भर्ती नियमों के उल्लंघन के कारण अभ्यर्थी श्री जितेन्द्र गिरी पिता–श्री दया गिरी को अपात्र घोषित किये जाने एवं दावा आपत्ति अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेज को अमान्य घोषित किये जाने के संबंध में।	आवेदक द्वारा प्रस्तत आवेदन में अभ्यर्थी जितेन्द्र गिरी द्वारा प्रस्तुत स्वयं के नाम पर जारी आय प्रमाण पत्र को अमान्य किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति के दौरान पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर माता के नाम पर जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।
30	सुश्री नीता पिता–श्री दयालु राम दुर्ग	157 दिनांक 28.01.2026	दावा आपत्ति करने के संबंध में।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सी.वी.रमन वि.वि. से दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पीजीडीआरडी. कोर्स सत्र 2019–20 को मान्य करने का निवेदन की गई है। छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 2066 दिनांक 17.09.2025 के बिन्दु क्रमांक 03 एवं विनियामक आयोग द्वारा गठित जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक 'द' के अभिमत के बिन्दु क्रमाक 2 के अनुसार सी.वी. रमन वि.वि. को दूरस्थ माध्यम से पीजीडीआरडी. पाठ्यक्रम की मान्यता वर्ष 2012–13 तक की अवधि के लिये ही मान्य है। अतएव दावा/आपत्ति अमान्य किया जाता है।
31	श्रीमती सविता पैकरा	159 दिनांक 28.01.2026	एडीईओ परीक्षा 2025–26 में ग्रामीण विकास स्नातकोत्तर पत्रोपाधि मार्कशीट जमा करने बाबत्।	आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 25/9/2025 को सी.वी. रमन वि.वि. द्वारा जारी अंकसूची को मान्य करते हुये पात्र किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विभागीय विज्ञापन की कंडिका 3 पात्रता एवं शर्तें के टीप प्रथम में उल्लेख है कि आवेदन भरने के अंतिम तिथि 05.05.2025 के बाद की तिथि को जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हता के प्रमाण पत्र मान्य नही किये जायेंगे। अतः दावा/आपत्ति अमान्य की जाती है।

Karan 06/02/2026
(करण वैभव ठाकुर)
सहायक ग्रेड– 03
सदस्य

06/02/2026
(विजय कुमार साहू)
विकास विस्तार अधिकारी
सदस्य

06/02/2026
(वैशाली देवांगन)
सहायक परियोजना अधिकारी
सदस्य

(नितेश उपाध्याय)
उपायुक्त
सदस्य

06/02/2026
(हरिकृष्ण जोशी)
संयुक्त आयुक्त
अध्यक्ष